गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.03.2017 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 07.03.2017 को अपरान्ह 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

01	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्षा
02	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
03	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
04	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
05	प्रो0 विशन सिंह राठौड़	सदस्य
06	प्रो0 मुकेश कुमार सिंह	सदस्य
07	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
08	डॉ0 रेणु भट्ट	सदस्य
09	प्रो. व्ही.डी. रंगारी	सदस्य
10	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
11	प्रो. शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
12	डॉ0 राकेश पाण्डेय	सदस्य
13	प्रो0 बी.एन. तिवारी (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 11–01–2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति बैठक दिनॉक 11–01–2017 के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 **डॉ0 सीमा राय, सह–प्राध्यापक, प्राणी विज्ञान विभाग के विरूद्ध शोध पत्र प्रकाशन के संबंध में प्राप्त शिकायत पर त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर विचार।**

समिति द्वारा तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा जांच के बिंदुओं पर चर्चा की गई।

चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रो. मार्को कोसन्टिनों को जांच प्रतिवेदन अनुसार उत्पन्न अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए इस प्रकरण के संबंध में यदि उनके पास अन्य और कोई तथ्य /जानकारी उपलब्ध हो तो उससे विश्वविद्यालय को अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये।

चर्चा के दौरान स्थायी समिति के समक्ष डॉ. सीमा राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. में दाखिल याचिका क्रमांक 807/2017 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 23.02.2017 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। स्थायी समिति ने यह पाया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से प्रो. मार्को कोसन्टिनों से प्राप्त शिकायत के आधार पर आगे की जांच पर रोक लगायी गई है।

स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि याचिका कमांक 807/2017 का यथोचित जवाब /प्रतिउत्तर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर वि.वि. का पक्ष प्रस्तुत किया जाये।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पारित आदेश दिनांक 23.02.2017 में उल्लेखित रोक आदेश के स्थगन/परिवर्तन तक जांच प्रतिवेदन/जांच पर शेष कार्यवाही लंबित रखा जाये।

विषय क्र. 03 अध्ययन मंडल केमिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम के अनुमोदन की पुष्टि पर विचार करना।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अध्ययन मण्डल केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा निर्धारित अंक योजना वि.वि. के शेष विभागों में संचालित प्री.पीएच.डी. कोर्स वर्क के अंक योजना के अनुरूप नहीं है। अतः केमिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा अंक योजना का परीक्षण किया जाये एवं पुनरावलोकनोपरांत यथोचित प्रस्ताव विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

विषय क्र. 04 D.Pharma पाठ्यक्रम के कतिपय छात्रों द्वारा सेशनल अंकों में सुधार (Sessional Improvement) के प्रयास संबंधी प्रकरण पर विचार।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अमान्य किया जाये।

विषय क्र. 05 बिलासपुर विश्वविद्यालय को स्थानांतरित शोधार्थियों के प्रकरण पर पुनर्विचार करना।

निर्णय लिया कि समिति संदर्भित प्रकरण पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। परन्तु आगे की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व बिलासपुर वि.वि. से पहले इस संबंध में अनुरोध /प्रस्ताव प्राप्त कर लिया जाये एवं तदोपरांत कार्यसूची के प्रस्ताव में उल्लेखित बिंदुओं के अनुसार सभी प्रभावित शोधार्थियों के संबंध में, लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु, आवश्यक कार्यवाही की जाये।

विषय क्र. 06 श्री अभिषेक जैन, असि. प्रोफेसर, इफार्मेशन टेक्नालॉजी (प्रौद्योगिकी संस्थान) की शैक्षणिक योग्यता के परीक्षण बाबत।

निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण नियुक्ति एवं अर्हता से संबंधित है। अतः प्रकरणों को वि.वि. कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

विषय क्र. 07 श्री संतोष सोनी, असि. प्रोफेसर, इफार्मेशन टेक्नालॉजी (प्रौद्योगिकी संस्थान) की शैक्षणिक योग्यता के परीक्षण बाबत।

निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रकरण नियुक्ति एवं अर्हता से संबंधित है। अतः प्रकरणों को वि.वि. कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

विषय क्र. 08 शिक्षको को पीएच.डी. अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

स्थायी समिति ने चर्चा की तथा संज्ञान में लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकीय पदों पर भर्ती एवं पदों के वेतन/भत्तों हेतु समय-समय पर अलग-अलग विनियम पारित किये गये हैं। अतः स्थायी समिति यह निर्णय लेती है कि शिक्षकों की नियुक्ति के आधार पर तत्समय प्रभावी होने वाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के प्रकाश में पीएच.डी. डिग्री के अग्रिम वेतनवृद्धि के प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

विषय क्र. 09 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेग्यूलेशन –2016 के अंगीकरण (न्यूनतम मानक एवं प्रकिया के लिए एम.फिल/पीएच.डी. डिग्री का अवार्ड) पर विचार करना।**

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेग्यूलेशन –2016 (न्यूनतम मानक एवं प्रकिया के लिए एम.फिल/पीएच.डी. डिग्री का अवार्ड) को अंगीकृत किया जाये।

विषय क्र. 10 **शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु VRET परीक्षा आयोजन पर विचार ।**

स्थायी समिति ने अंकित किया कि बिना शोधवृत्ति अनुदान के पीएच.डी. शोधार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा शोधवृत्ति प्रदान नहीं किया जा सकता है।

अतः समिति ने निर्णय लिया कि शोधवृत्ति हेतु फंड आने तक VRET परीक्षा के आयोजन को लंबित रखा जाये। फंड प्राप्ति के उपरांत VRET आयोजन पर विचार किया जाये।

विषय क्र. 11 **CBCS प्रणाली के तहत अध्ययनरत चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य पर चर्चा एवं विचार।**

निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु शनिवार तथा रविवार के दिनों का आवश्यकतानुसार उपयोग कर अध्यापन कार्य कराया जाये। इस पर समिति सैद्धांतिक रूप से सहमत है।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अवकाश के दिनों पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु विभागाध्यक्ष अधिकृत होंगे तथा उन्हें पात्रतानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश/अतिरिक्त कार्यभत्ता की पात्रता होगी।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य विषय –

अ.अ.वि.क्र.1 विभिन्न अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं द्वारा शिक्षकीय पदों के चयन समिति के लिए विशेषज्ञों के नाम प्रस्तावित किये गये है। प्रस्तावित सूची युक्त लिफाफे स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विशेषज्ञों के नाम नामित करने संबंधी शेष कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति महोदया अधिकृत रहेंगी।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

कुलपति/अध्यक्ष